12

the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

[File No. A-12018/4/99-Ad.I(C)]
T.J. BANERJEE, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. 285, dated 19-4-86.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2001

सा. का. नि. 178—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त, भारत और संघ/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (कलाकार वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1987 और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1976, जहां तक इनका संबंध वरिष्ठ नक्शानवीस के पद से है, का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में वरिष्ठ नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्यालय निदेशालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
वरिष्ठ नक्शानवीस	91* (2000) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपये

क्या चयन-गुणावगुण या चयन-सह-वरिष्ठता अनुसार अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा सिविल (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7
चयन-सह-वरिष्ठता	30 वर्षों से अनधिक टिप्पणी :—1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी :—2. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अन्तिम तारीख नहीं)।	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्यिक अथवा ललितकला अथवा सिविल इंजीनियरिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष।	नहीं	सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वालों के लिए 2 वर्ष

8
(iii) मानचित्र, चार्ट और रेखाचित्र बनाने में तीन वर्ष का अनुभव।
टिप्पणी 1. :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
टिप्पणी 2. :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
वांछनीय :—डेस्क टाप प्रकाशन अथवा आटोकाड में दो वर्ष का अनुभव।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा इस अपग्रेडिड पद पर नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक तौर पर इस पद के 5500—9000 रुपये (संशोधित) के वेतनमान में अपग्रेडिड होने से पूर्व 1600—2660 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ कलाकार/वरिष्ठ नक्शानवीस के पद पर नियमित रूप से कार्यरत और इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों की पात्रता पर विचार किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा और यदि वे अपग्रेडिड वेतनमान में नियुक्ति के पात्र न हों तो वे पदधारी 5000—8000 रुपये के संशोधित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामलों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।	प्रोन्नति : ग्रेड में तीन वर्षों की नियमितसेवा वाले नक्शानवीस टिप्पणी 1 : प्रोन्नति निदेशालय वार की जाएगी। टिप्पणी 2 : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हों से कम न हो और उन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा (2) जिन्होंने 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कालम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

206

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष (2) संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत —सदस्य (3) उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) —सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12032/10/99-प्रशा. 2]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 15th March, 2001

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India and the office of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories (Artist|Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 1987 and Office of Registrar General, India (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1976 in so far as they relate to the post of Senior Artist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the folowing rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Draughtsman in the Office of the Registrar General, India, as well as the Directorates of Census Operation in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification, and the scale pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualification etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marirage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order, for reasons to be ecorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect any class or categories of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Draughtsman	91* (2001) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group "B" Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5500—175—9000	Selection-cum-seniority

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational Qualification and other Qualification required for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable	Essential: (i) Matriculation or equivalent of a recognised board. (ii) Diploma of two years duartion in Commercial or Fine Arts Civil Engineering from a recognised University/Institute or equivalent. (iii) Three years experience in drawing of Maps, Charts and Diagrams. Note 1. Relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, If at any stage of selectoin the Staff Selection Commission is of the opinion that suffiicient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: Two years experience in Desk Top Publishing or Autocad.

Whether age and educational qualifications prescribed for for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion deputation/absorption grades from which probmotion/deputation/ absorption to be made.
9	10	11	12
No	Two years for direct recruits and promotees.	50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract). 25% by deputation (including short-term contract).	PROMOTION: Draughtsman with three years regular service in the grade. Note 1. Promotion shall be made directoratewise.

11	12
25% by direct recruitment. The suitability of the regular holding of the post of Senior Artist/Artist/Senior Draughtsman in the pre-revised scale of Rs. 1600-2660 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 5500-9000 (Revised) and having three years regular service in the grade will be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay the incumbents shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000-8000 and their cases would be reviewed every year.	Note 2. Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short-term contract). Officers under the Central/State Governments/Union Territories/ Universities/Recognised Reserch Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in post in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation : 1. Registrar General, India—Chairman 2. Joint Registrar General, India—Member 3. Deputy Registrar General (Map)—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F.No. A-12032/10/99-Ad. II]

J. K. BANTHIA, Registrar General, India

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Registrar General, India —Chairman 2. Joint Registrar General India —Member 3. Deputy Director (Administration), Office of the Registrar General, India. —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-16011/28/2000-Ad. II]
J. K. BANTHIA, Registrar General, India

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 679.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और जनगणना कार्य निदेशालयों के कार्यालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 से संबंधित अनुसूची के कालम (8) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष ।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यावसायिक अथवा ड्राफ्ट कला अथवा सिविल इंजिनियरिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष ।

(iii) मानचित्र, चार्ट और रेखाचित्र बनाने में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

वांछनीय : डैस्क टाप पब्लिशिंग अथवा आटोकेड में दो वर्ष का अनुभव ।"

[फाइल सं. ए-12032/10/99-प्रशा. II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 31-3-2001 को सा.का.नि. 178 के माध्यम से प्रकाशित हुए थे ।

New Delhi, the 7th December, 2001

G.S.R. 679:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorates of Census Operations (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories (Senior Draughtsman) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of theire publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General. India and the Offices of the Direc-

torates of Census Operations (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001, in column (8), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential : (i) Matriculation or equivalent of a recognised board.

(ii) Diploma of two years duration in Commercial or Fine Arts or Civil Engineering from a recognised University Institute or equivalent.

(iii) Three years experience in drawing of Maps, Charts and Diagrams.

Note 1 : Relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : Two years experience in Desk Top Publishing or Autocad."

[F. No. A-12032/10/99-Ad. II]
D. S. SAINI, Under Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide nubmer G.S.R. 178 dated 31-03-2001.

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 680.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और हिन्दी शिक्षण योजना (चौकीदार) भर्ती नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और हिन्दी शिक्षण योजना (चौकीदार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और हिन्दी शिक्षण योजना (चौकीदार) भर्ती नियम, 1997 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
चौकीदार	6* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 2550-55-2680-60-3200

चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
5	6	7
लागू नहीं होता	नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच

completed the probation period and possess the educational qualifications and eligibility criteria as prescribed for direct recruits under colums 8.".

[F. No. E-32011/4/2001/Estt.-I]
SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers. I)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 87 (E), dated 25th Junuary, 2000 and subsequently amended vide G.S.R. 484 (E), dated 28th June, 2001, G.S.R. 824 (E), dated 13th December, 2002, G.S.R. 619 (E), dated 1st August, 2003 and G.S.R. 387, dated 19th October, 2005.

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अराजपत्रित सिविलियन (अधीनस्थ पद) भर्ती संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में,-

(i) लेखाकार के पद के सामने, स्तंभ (12) के उपशीर्ष (ii) के अधीन "भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो" शब्दों के स्थान पर "भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है या ऐसे व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार के विभागों के अधीन नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ई-32012/02/2005/स्था.-I]
श्याम जिंदल, उप सचिव (कार्मिक-I)

टिप्पण :—मूल नियम भारत का राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 88 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 12th May, 2006

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force (Subordinate Posts) Recruitment Rules, 1999 namely.

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Non-Gazetted Civilian (Subordinate Posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Industrial Security Force (Subordinate Posts) Recruitment Rules, 1999,— against the post of Accountant, in columns (12), under the sub-heading (ii), for the works "Indian Railway Accounts Department", the words "Indian Railway Accounts Department or persons holding analogous posts under the Central Government Department on regular basis and have undergone training in Cash and Accounts of Institute of Secretarial Training & Management" shall be inserted.

[F. No. E-32012/02/2005/Estt. -I]
SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers. I)

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 88(E), dated the 31st January, 2000.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 22 मई, 2006

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती संशोधन नियम, 2006 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में:

(क) कालम 5 में दिए गए शीर्ष तथा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष तथा प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"क्या चयन या अचयन पद है

चयन";

(ख) कालम 8 के उप पैरा (ii) के अन्तर्गत दी गई विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से व्यावसायिक या ललित कला या सिविल इंजीनियरिंग में दो वर्ष का डिप्लोमा"; और

(ग) कालम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु)

1. भारत के महारजिस्ट्रार – अध्यक्ष
2. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार या उप सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय – सदस्य
3. उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) या सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय– सदस्य

[फा. सं. ए-12032/10/99-प्रशा.-2]
डी एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2001 के सा.का.नि. 178 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 के सा.का.नि. 679 द्वारा संशोधित किया गया है।

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 22nd May, 2006

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and the Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, (Senior Draughtsman) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001,—

(a) in the column 5, for the column heading and entries under it, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

" Whether Selection or Non-selection post.

Selection";

(b) under the column 8, in sub-para (ii), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

" Diploma of two years duration in Commerical or Fine Arts or Civil Engineering from a recognized University/Institute or equivalent"; and

(c) under the column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion/confirmation)

1. Registrar General, India - Chairman
2. Joint Registrar General, India or Deputy Secretary, Office of the Registrar General, India - Member

3. Deputy Registrar General (Map) or Assistant Registrar General (Map), office of the Registrar General, India - Member".

[F. No. A-12032/10/99-Ad.-II]

D. S. SAINI, Under Secy.

Note :- The principal rules were notified *vide* No. G.S.R. 178, dated 15 March, 2001 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 679 dated 7th December, 2001.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 8, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 8 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 9, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

1527 GI/06-2